स्मृति-पत्र

	संस्था का नाम	::	सांईनाथ जागृति ग्रामीण विकास संस्थान।
	संस्था का पूरा पता	::	बुद्व बिहार सेक्टर सी0 बुद्व बिहार कालोनी यल0आई0जी0बी-175 तारा मण्डल, देवरिया बाई पास गोरखपुर।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	::	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4. संस्था के उद्देश्य-

1. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी, अंग्रेजी,विज्ञान व वाणिज्य की शिक्षा, प्राईमरी जू0हाई0स्कूल, हाईस्कूल,इण्टर, एवं उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कन्याविद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं अविकसित विद्यालयों की प्रगति के लिए प्रयास करना व प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करना।
2. शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालिकाओं को सचरित्र नागरिक बनाना व संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं हेत सी0बी0एस0ई0बोर्ड/आई0सी0एस0ई0 पैट्र्न पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना।
3. समाज के अल्पसंख्यक,पिछड़े,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामन्य वर्ग की बालक /बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण जैसे- कम्प्यूटर, हार्डवेयर,साफ्टवेयर,डी0टी0पी0,सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, फलसंरक्षण रेक्सीन कला,गृह सज्जा, आचार मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरवत्ती, मसाला, ब्यूटी पार्लर की जानकारी देना।
4. खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, चमड़ा उद्योग ,रेक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना, तथा समाज के निर्वल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना व तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना।
5. देशाटन द्वारा बच्चो का बौद्विक विकास कराना व संगीत शिक्षा का ज्ञान करवाना।
6. कमजोर व निर्धन विकलांग बालक एवं बालिकाओं के के रहने हेतु आवासीय /अनावासिय विद्यालयों की स्थापना करना, सरकार से अनुमति लेकर निःशुल्क विकलांग चिकित्सालयों की स्थापना करना व निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करना।
7. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा पेयजल, नाली, सिवर की निःशुल्क व्यवस्था करना व मलिन बस्तियों की सफाई के कार्यो में सहयोग करना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना।
8. संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न नामो से विद्यालय/महाविद्यालयों की स्थापना करना।
9. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना व चलचित्र द्वारा लोगों को शिक्षा कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना।
10. विकलांग बालक एवं बालिकाओं को हास्टल व घर से विद्यालय लाने व पहुचाने हेतु बस का प्रबन्ध करना।
11. समाज में व्याप्त अंधविश्वास एंव कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करने क लिए प्रयास करना।
12. संस्था के माध्यम से सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित, जनजाति, के अल्पसंख्यक, बालक/ बालिकाओं के लिए शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना व उनके उत्थान के लिए कार्य करना व शिशु से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना।

13. कृषि विकास हेतु कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, अधुनिकतम व विकसित तरीके से कृषि, दुग्ध के क्षेत्र में जानकारी देना।

4. औषधि कार्यो के लिए जड़ी-बुटियों ,जैविक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देना, व जैविक खाद विस्तार कार्यक्रम के द्वारा जैविक खेती एवं ग्रामीण बेरोजगार नवयूवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, मैन्थामिन्ट (पिपरमिन्ट) की खेती के लिए लोगों को प्रेरित करना।

15. परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गांवों में व्यापक स्तर पर निःशुल्क संचालित करना, टीकाकरण, जैसे पल्स पौलियों, हैपोटाइटिस,फाईलेरिया, मलेरिया, क्षय रोग, एड्स,कैसर, टी0वी0 कुछ क्षेत्रीय बीमारियें के रोकथाम के लिए प्रचार व प्रसार करना व जानकारी देना तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण करना व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करना तथा मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की निःशुल्क चिकित्सा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना, व रेडक्रास सोसायटी की योजनाओं के साथ कन्धें से कन्धा मिलाकर जन-साधारण को जानकारी मुहैया कराना, व निःशुल्क होम्योपैथ एवं यूनानी चिकित्सालय स्थापित करना।, दृष्टिहीन, मूकबधिर विद्यालयों की स्थापना करना, व निःशुल्क नेत्र चिकित्सालयों, नेत्र दान, राक्त दान, व कैम्प लगवाना व संस्था के माध्यम से नर्सिंग, पैरामैडिकल, मेडिकल, स्कूल/कालेजों का प्रबन्ध करना।

16. कृषि कार्य हेतु विशेषकर तिलहन व दलहन बोर्ड के कार्यो व कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार व प्रसार करना ।

17. समाज के लिए व्याप्त छूआछूत,ऊँच-नीच तथा जाति-धर्म की विषमता की निर्मूल समाप्त करने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना।

18. शराब व मादक पदार्थो का नशा करने वालों की लत छुड़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार नशा उन्मूलन एवं पुर्नवास केन्द्र स्थापित करना।

19. पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढावा देना एवं इस पर शोध कार्य करना।

20. अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

21. सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी करवाना।

22. जल संरक्षण, जलसंचयन, जलचक्र व जल संसाधन तथा स्वजलधारा से संबंधित सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। एवं जल प्रदूषण के खिलाफ गोष्ठी, शोध केन्द्रों की स्थापना करना।

23. नदियों के गन्दे नालों तथा कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसके लिए सम्बन्धित विभागों की अनुमति से करना छोटे पोखरे एवं तालाबों के सुन्दरीकरण के लिए कार्य करना।

24. दैवी आपदा बाढ़ भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग जैसी विभिन्न बीमारियों, महामारी व विभिन्न कठिनाईयों में शासन व प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण की हर तरह से सेवा करना।

25 संस्था के माध्यम से सरकार से अनुमति लेकर विद्यालय, तकनीकी विद्यालय व महाविद्यालयों की स्थापना करना।

26. जानवरों के चारागाह हेतु सरकार की अनुमति से नियमानुसार भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना तांकि जानवरों के प्राकृतिक रूप से चारागाह की व्यवस्था की जा सके।

27. मानव संसाधन विकास मंत्रालय,सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, यूवा कल्याण एवं खेलमंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयां तथा उ0प्र0 सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारों और विदेशी संगठनों के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देना एवं उनका क्रियान्वयन कराना।

.....3

28 सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, म्यूजिक, नाट्य, के कार्यक्रमों की निःशुल्क जानकारी देना।

29 निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास तथा पुस्तकालय का प्रबन्ध करना।

30. खेलों को बढ़ावा देना खेलों के प्रति गांवों एवं शहरों में अभिरूचि पैदा करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं खिलाडियों को प्रोत्साहित व पुरष्कृत करना।

31. सीमा क्षेत्र के इलाकों के विकास के लिए कार्य करना, वैकल्पिक उर्जा के बारे में जानकारी देने का प्रयास करना।

32.. दहेज प्रथा, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।

33. बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ,आई0यल0ओ0,यूनोडो, सिडवी, नवार्ड, कपार्ट, यूनिफेम एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर कन्धे से कन्धा मिलाकर योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना एवं मानव संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना

34. फूलों एवं फलो की खेती तथा बागवानी बोर्ड से संबधित जानकारी जन-मानस तक पहुंचाना तथा उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

35 विज्ञान एव प्रोद्योगिकी से संबंधित सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना एंव विज्ञान भवनों की स्थापना करना।

36. विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना, विद्यालय, आश्रम-पद्वति विद्यालय व आवासीय /अनावासीय विद्यालयों व शोध संस्थानों की स्थापना करना एवं निःशुल्क संचालन करना।

37. आम जनता के उपयोग के लिए धमार्थ कम्यूनिटी हाल, बरातघर, वृद्घाश्रम, महिलाश्रम, अनाथालय, प्याऊ, वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मार्थ-डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियो, रात्रि निवास, शार्ट-स्टे-होम, मूक-बधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

38. बालिकाओं/महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार/आक्रमण की रोकथाम हेतु युवतियों को आवश्यक जानकारी देना, अविवाहित माता, विधवा ,पारिवारिक हिंसा /दहेज प्रथा दहेज पीडित से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना व गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी करवाना एवं सामूहिक विवाहों को करवाना ।

39. प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित सामग्रियों का समुचित प्रबन्धन करते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्वति विकसित करना।

40. स्वंय सहायता समूहों का गठन करके रोजगार के अवसर की जानकारी कराना व स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत जानकारी देना, सरकार की स्व0रोजगार परक योजनाओं में सहायता, सहयोग करके शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व नवयुवतियों को रोजगार की जानकारी प्रदान कराना।

41. वन-सम्पदा के दोहन को रोकने को प्रोत्साहित करना, पर्यावरणी गुणों के बारे में जानकारी देना।

42. समाज के सभी वर्गो व लिंग को अध्यात्मिक, सामाजिक, व शिष्टाचार का ज्ञान प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करना व इसका प्रचार व प्रसार करना।

43. गौशाला खोलवाकर, पशुपक्षियों की सेवा करना तथा अवैधानिक तरीके से पशुपक्षियों का शिकार करने वालों पर रोक लगवाना तथा जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ कार्य करना।

44. प्राकृतिक पर्यावरण का सन्तुलन बनाने के लिए प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराना विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों का उत्पादन करना व बागवानी करना।

45. देश विदेश से आये विद्यार्थियों बोद्व भिक्षुओं, व्यापारियों व किसानों के ठहरने हेतु धर्मशालाओ की व्यवस्था कराना व उसकी निःशुल्क व्यवस्था एवं संचालन करना।

46. उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को करना।

47. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित कार्य क्रमों का क्रियान्वयन करना।

48. महिलाओं के लिए रोजगार हेतु जानकारी देने का प्रयास करना।

49. सस्था के विकास हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में निर्माण कार्य को कराना।

50. सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम/पिता का नाम पता पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के द्वारा नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया-

क0स0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री दयाशंकर मिश्र पुत्र श्री रामचन्द्र मिश्र	रेलवे स्टेशन के पश्चिम फरेन्दा संस्कृत पाठशाला फरेन्दा खुर्द आनन्दनगर जनपद महराजगंज	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्रीमती पूनम मिश्रा पत्नी श्री दयाशंकर मिश्र	बुद्व विहार पार्ट-सी,यल0आई0जी0-बी-175 तारामण्डल रोड देवरिया बाई पास जनपद गोरखपुर	सचिव	समाजसेवा
3.	श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री बहादुर प्रसाद	रूस्तमपुर,आजाद चौक जनपद गोरखपुर	संयुक्त सचिव	समाजसेवा
4.	मीना त्रिपाठी पुत्री श्री मघूसूदन त्रिपाठी	ग्राम तख्था पो0 पाली,सहजनवॉ जनपद गोरखपुर	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	श्री गोपीनाथ त्रिपाठी पुत्र श्री शिव सम्पति त्रिपाठी	ग्राम कोटिया पो0 डुमरी नेवास,सहजनवॉ जनपद गोरखपुर	सदस्य	"
6.	श्रीमती सीमा उपाध्याय पत्नी श्री धिरेन्द्र उपाध्याय	ग्राम नानकार अतरी पो0 मेहदूपार जनपद संतकबीर नगर	सदस्य	गृहकार्य
7.	श्री अशोक कुमार दूबे पुत्र श्री जयमंगल धर दूबे	ग्राम तेलौरा पो0 पाली,सहजनवॉ जनपद गोरखपुर	सदस्य	समाजसेवा

6. हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति- पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार संस्था का रजि0 एक्ट 21सन् 1860 के अनुसार सोसायटीज रजि0 करवाना चाहते हैं-

दिनांक 29-12-2009

Poonam
हस्ताक्षर

सत्य - प्रतिलिपि
06.1.10
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
गो0 प्र0 गोरखपुर
06/1/10

प्रतिलिपि कर्ता .....
मिलान कर्ता .....
06/1/10

नियमावली

1. संस्था का नाम :: सांईनाथ जागृति ग्रामीण विकास संस्थान।
2. संस्था का पूरा पता :: बुद्ध बिहार सेक्टर सी0 बुद्ध बिहार कालोनी यल0आई0जी0बी-175 तारा मण्डल, देवरिया बाई पास गोरखपुर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

आजीवन सदस्य–
ऐसे सदस्य जो संस्था के हित में कम से कम 5001/– रूपया अथवा उतने मूल्य की चल अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में संस्था को दान स्वरूप देगें वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।

विशिष्ट सदस्य– ऐसे सदस्य जो संस्था के हित में विशेष रूप से उपयोगी तथा प्रभावशाही होगें तथा साथ ही साथ संस्था के विषेश कार्यों में रूचि रखते हो संस्था के विशिष्ट सदस्य माने जायेगें।

सामान्य सदस्य– ऐसे सदस्यों जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कम से कम 501/– रूपये नकद सदस्यता शुल्क के रूप में संस्था को देगें वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेगें।

5. ***सदस्यता की समाप्ति–***

संस्था के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति निम्न आधारों पर समाप्त मानी जायेगी।

1. किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर।
2. किसी सदस्य के पागलपन से पीडित होने पर।
3. किसी सदस्य के दण्डित होने पर।
4. संस्था के प्रति अनाधिकार कार्य करने पर।
5. सदस्यता से त्याग पत्र देने पर।
6. संस्था के कई लगातार बैठकों में बिना कारण बतायें अथवा सूचना देने पर अनुपस्थित रहने पर।
7. समिति संस्था के धारा 2/3 बहुमत से किसी कारण वस निकालने जाने पर।
8. संस्था की सदस्यता शुल्क आदि न देने पर।

6. ***संस्था के अंग–*** *संस्था के निम्न दो अंग होंगें–*
अ– साधारण सभा ब–प्रबन्धकारिणी समिति

7. ***साधारण सभा–***

क– **गठन–** संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा जिसमें आजीवन विधिष्ट समान्य एवं संस्था के सदस्य भी सम्मिलित होगें।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

ख– **बैठकें**– संस्था की साधारण सीााक ी सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक प्रबन्धक की अनुमति से कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग– **सूचना अवधि**– संस्था के साधारण सभा का सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को नियमित रूप से दिया जायेगा।

घ– **गणपूति**–संस्था की साधारणसभा की समान्य रूप से समस्त बैठक की गणपूर्ति संस्था के कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में पूरी मानी जायेगी कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर दिया जायेगा।

ड..– **वार्षिक अधिवेशन की तिथि**–
संस्था के साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष के अन्त में किसी भी समय सभी

र– **साधारण सभा के कर्तव्य**–

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट रिर्पोट पास करना।
4. संशोधन 2/3 बहुमत से पास करना।
5. संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति का देख भाल करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति

,क– **गठन**– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 4 पदाधिकारी एवं 3 सदस्य होगें और कुल की संख्या 07 की होगी।

ख– **बैठक**– प्रबन्धकारिणी समिति के सामन्य बैठक वर्ष में चार बार अवश्य होगी आवश्यकता पडने पर विशेष बैठक 24 घंटे पूर्व बुलाई जा सकती है।

ग– **सूचना अवधि**– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारीयों को कम से कम 7 दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

घ– **गणपूर्ति**– प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

ड़– **रिक्त स्थानों की पूर्ति**– प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर शेष काल के लिए की जायेगी ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य–

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक रिर्पोट पास करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/ अर्न्तराष्ट्रीय व सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं बैंक/बैंको, खादीग्रामोद्योग, व्यक्ति/व्यक्तियों से चन्दा, दान, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
5. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव करके उद्देश्यों में परिवर्तन व संशोधन किया
7. आजीवन सदस्यों में से ही पदाधिकारियें का चुनाव किया जायेगा।

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर **5 वर्ष** का होगा।

सहायक निबन्धक
सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य–

अध्यक्ष–

1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2. बैठकों को बुलाना एवं अनुमोदन करना।
3 बैठकों में शांति व्यवस्था कायम करना।
4 संस्था के समस्त कार्यो की देख रेख करना।
5. संस्था में किसी प्रकार का मतभेद पैदा होने पर उसे सुलझाने का प्रयास करना।

सचिव–

1. संस्था में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
2. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दा, दान, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
4. राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना तथा ऋण प्राप्त करना।
5. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
6. बैठकों की कार्यवाही लिपि करना व सूचना देना।
7. संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।
8. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप से देना।
9. संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
10. सदस्यों का नाम रजिस्टर में लिखना।
11. संस्था के सभी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
12. कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति, निष्कासन व निलम्बन करना।
13 संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा अनैतिक कार्य किये जाने पर उन्हें दण्डित करना व निष्कासित करना।
14. सदस्यों से चन्दा लेना व उसकी रसीद काटकर देने का अधिकार सचिव का होगा सचिव द्वारा जारी की गई रसीद ही मान्य होगा।
15. शासन एवं प्रशासन के कार्यो में सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष–

1. संस्था के लिए धन एकत्रित करना।
2 संस्था के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो0 आफिस में संस्था के नाम से जमा करवाना।
3. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा तैयार करना व साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

संयुक्त सचिव–

1. बैठकों की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।
2. बैठकों का दिनांक, स्थान, व समय निश्चित करना।
3.. बैठकों की सूचना देना व पत्र व्यवहार करना।
4. अध्यक्ष के कार्यो में सहयोग करना।

11. *संस्था के नियमों एंव विनियमों में संशोधन प्रकिया–*

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

12. *संस्था का कोष–*

संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो० आ० में संस्था के नाम से खोला जायेगा जिसके संचालन के लिए अध्यक्ष एवं सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

13. *संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण {आडिट }*

संस्था के वर्ष भर के आय–व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।

14. *संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व*

अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व होने वाले मुकदमों की पैरवी सचिव द्वारा की जायेगी।

15. *संस्था के अभिलेख–*

1.सदस्यता रजिस्टर 2.कार्यवाही रजिस्टर 3.स्टाक रजिस्टर 4 कैश बुक

16. संस्था का विघटन-

संस्था के विघटन की समस्त कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक 29-12-2005 सत्यप्रतिलिप

Poonam
हस्ताक्षर

Poonam

सत्य – प्रतिलिपि
06.1.10
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर
06/1/10

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता 06/1/10

सांई नाथ जागृति ग्रामीण विकास संस्थान बुद्ध विहार सेक्टर सी,बुद्ध विहार कालोनी,यल0आई0जी0,बी-175,तारा मण्डल देवरिया बाईपास जनपद गोरखपुर की प्रबन्ध समिति की सूची वर्षः-2012.13

क0स0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	मीना त्रिपाठी पुत्री श्री मधूसूदन त्रिपाठी	ग्राम तख्था पो0 पाली,सहजनवां जनपद गोरखपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्रीमती पूनम मिश्रा पत्नी श्री दयाशंकर मिश्र	बुद्ध विहार पार्ट-सी,यल0आई0जी0-बी -175,तारामण्डल रोड,देवरिया बाई पास जनपद गोरखपुर	सचिव	,,
3.	श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र श्री बहादुर प्रसाद	रूस्तमपुर,आजाद चौक जनपद गोरखपुर	संयुक्त सचिव	,,
4.	श्री बबलू पुत्र श्री रामचन्दर	ग्राम नरही पो0 थवईपार,गोरखपुर	कोषाध्यक्ष	,,
5.	श्री असगर अली पुत्र श्री अली रजा	ग्राम रतनपुर,फरेन्दा खुर्द,आनन्दनगर जनपद महराजगंज	सदस्य	व्यापार
6.	श्रीमती रंजना पत्नी श्री शेषनाथ निषाद	ग्राम कुड़िया पो0 बसियाखोर,खजनी जनपद गोरखपुर	सदस्य	गृहणी
7.	श्री रमेश कुमार सिंह यादव पुत्र श्री राजबली यादव	ग्राम नचनी पो0 रिठुआखोर,सहजनवां जनपद गोरखपुर	सदस्य	कृषि

Meena Tripathi
Poonam
मनोजकुमार
बबलू
असगरअली
रमेश
रंजना

सत्य – प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर
27/8/12

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
27/8/12

साईनाथ जागृति ग्रामीण विकास सेवा संस्थान वुद्व विहार सेक्टर सी0 वुद्वबिहार कालोनी ,एल0आई0 जी0 बी–175 तारामण्डल देवरिया बाई पास जनपद गोरखपुर की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष..2014–15

क्र.स.	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	आलोक कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री गिरिजा शंकर श्री0	म0न0 488 सरकारी कालोनी पश्चिमी उमरपुर जौनपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्रीमती पुनम मिश्रा पत्नी श्री दयाशंकर मिश्र	वुद्व विहार पार्ट सी, यल. आई. जी. 175 तारामण्ड़ल रोड़ देवरिया बाइपास जनपद — गोरखपुर	सचिव	समाजसेवा
3.	मीना त्रिपाठी पुत्र श्री मधुसूदन त्रिपाठी	ग्रा0 तथ्या पो. पाली सहजनवां जनपद गोरखपुर	संयुक्त सचिव	गृहकार्य
4.	श्री बबलू पुत्र श्री रामचन्द्र	ग्रा0 नरही पो0 थवईपार जनपद गोरखपुर	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	श्री असगर अली पुत्र श्री अली रजा	ग्रा0 रतनपुर फरेन्दा खुर्द आनन्दनगर जनपद महराजगंज	सदस्य	व्यापार
6.	श्रीमती रंजना पत्नी श्री शेषनाथ निषाद	ग्रा0 कुडिया पे0 बसियाखोर खजनी जनपद गोरखपुर	सदस्य	गृहकार्य
7.	श्रीमती सीमा पत्नी श्री धीरेन्दे	नानकार अतरी पो0 मेहदूपार जनपद संतकबीरनगर	सदस्य	समाजसेवा

Srivastava

Poonam

Meena Tripathi

बबलू

सत्य – प्रतिलिपि
06/11/15
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट
गोरखपुर

लिपि कर्ता
मिलान कर्ता 06-11-15